

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/1699

दिनांक: 29/3/14

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध VISHWANATH PRATAPSINGH COLLEGE OF SCIENCE & MANAGEMENT, LAHAR को सत्र 2014-15 के लिये प्रस्तावित/संचालित B.C.A.B.B.A.B.SC. (F.C., Mathematics, Physics, Chemistry, B0tany, Micro., Comp. Sc.), P.G.D.C.A. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनिियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. AJAY JAIN, SOS ZOOLOGY, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR (संयोजक)
2. NEERAJ JAIN, SOS PHYSICS, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR
3. R.P. PANDEY, SOS IN ANCIENT HISTORY, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR
4. K.S. THAKUR, SOS MANAGEMENT, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनिियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 03 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालयमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। परिनिियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है। निरीक्षण समिति के सदस्यों को 1000/- प्रति सदस्य मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर निर्देश है कि समिति के संयोजक द्वारा दी गयी निर्धारित तिथि पर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)